केन्द्रीय विद्यालय संगठन
(शिक्षा मंत्रालयः भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक–2, रायपुर कैम्पस
सेक्टर–4, दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर,
छत्तीसगढ़–492010

Kendriya Vidyalaya Sangathan
[Ministry of Education, Govt. of India]
Regional Office, Raipur
Kendriya Vidyalaya. No.2, Raipur Campus
Sec-IV, Dindayal Upadhyay Nagar
Raipur, Chhattisgarh-492010

Website: www.kvsroraipur.org, E-mail:- admn.roraipur@kvs.gov.in
Tel : - 0771-2262912(DC) , 2262913(AC),

Comp No.

F.NO. 32062/KVS/RORAIPUR/ 2018-19/ 13029-036 Date:-24.08.2026

आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0), नई दिल्ली के पत्रांक F.11-55/2000-KVS(Vig.)/PLI/1122-25 दिनांक 05.03.2019 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीडन(रोकथाम, निषेध एवं निवारण), अधिनियम 2013 की धारा 4(2) के अनुपालन में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर एवं रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीडन सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.09.2023 के द्वारा आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) ICC का गठन किया गया था, उसी निरंतरता में श्रीमती प्रभा मिंज, प्राचार्य, के.वि. बीएमवाई, भिलाई जो कि आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य भी हैं, का स्थानांतरण रायपुर संभाग से मुम्बई संभाग में होने के कारण नए आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) ICC का एतद् द्वारा पुनर्गठन किया जाता हैः–

क्र.	नाम एवं पता	समिति में धारित पद	अधिकारी क्षेत्र (Jurisdiction)
1	श्रीमती प्रभा मिंज,, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई।	पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer)	क्षेत्रीय कार्यालय में अनुभाग स्तर पर (वित्त अधिकारी को छोडकर), प्राचार्यो, उप प्राचार्य तथा मुख्याध्यापको के विरूद्व कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की शिकायतों की जॉच करना।
2	श्रीमती भुवनेश्वरी, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय सीआईएसएफ भिलाई।	सदस्य	
3	श्री सुशील कुमार साहू, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय कोरबा–02 (NTPC)	सदस्य	
4.	श्रीमती इन्दु साहु, अध्यक्ष, चेतना चाईल्ड एंड वोमेन वेल्फेयर सोसायटी, बी–105, कृष्णा अपार्टमेंट एल.आई. सी. कॉलोनी, मोवा रायपुर	गैर–सरकारी संगठन सदस्य(NGO Member)	

पीठासीन अधिकारी(Presiding Officer) के कार्य निम्नवत होगें:–

1. एन.जी.ओ. सदस्य एवं समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर जॉच की तिथि एवं समय निर्धारित करेगें।
2. माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08. 1997 तथा कार्यालय में महिलाओं के उत्पीडन सम्बन्धी केस मेधा कोतवाल लेले एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुरूप जांच करेगें।
3. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित प्रकिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाये।

सोमा घोष 24.8.26
(सोमा घोष)
उपायुक्त

वितरणः–

1. समिति के पीठासीन अधिकारी–सूचनार्थ।
2. समिति के सदस्य / गैर–सरकारी संगठन के सदस्य–सूचनार्थ।
3. संयुक्त आयुक्त, प्रशासन / कार्मिकः– केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0) नई दिल्ली।
4. उपायुक्त / निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन / समस्त क्षेत्रीय कार्यालय आंचलिक संस्थान।
5. सहायक आयुक्त, के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।
6. प्राचार्यः– समस्त केन्द्रीय विद्यालय रायपुर संभाग।
7. प्रशासनिक अधिकारी / वित्त अधिकारीः– के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
8. गार्ड फाईल